संख्या-812/2017/1963/22-2-2017-17(497)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर, 2017***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उमेश उर्फ बब्बू उपाध्याय पुत्र श्री महाबली उपाध्याय, निवासी जनपद-संतरविदास नगर, भदोही की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-29112/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम 22.06.2017) दिनांक-11.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 11.08.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी उमेश उर्फ बब्बू उपाध्याय पुत्र श्री महाबली उपाध्याय, ग्राम डुहिया, थाना-कोतवाली भदोही, जनपद-संतरविदास नगर, भदोही का निवासी है। बन्दी ने पूर्व में शराब पीकर गुण्डागर्दी कर कालोनी में फायर किया जिसकी शिकायत वादीगण द्वारा थाने में की गयी। इसी रंजिश में दिनांक 18.03.1997 को समय लगभग 03.15 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे से फायर कर दामोदर पाण्डेय नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-411/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, भदोही के आदेश दिनांक 06.08.1998 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2017 तक 19 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 02 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने पूर्व में शराब पीकर गुण्डागर्दी कर कालोनी में फायर किया जिसकी शिकायत वादीगण द्वारा थाने में किये जाने की रंजिश में दिनांक 18.03.1997 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे से फायर कर दामोदर पाण्डेय की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-48 वर्ष 07 माह लगभग है। बन्दी के अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी उमेश उर्फ बब्बू उपाध्याय पुत्र श्री महाबली उपाध्याय, निवासी जनपद- संतरविदास नगर, भदोही को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-25468(एम0बी0)/2016 चन्द्रिका व 5 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश 22.12.2016 के अनुपालन एवं उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी उमेश उर्फ बब्बू उपाध्याय (बन्दी संख्या-39467) पुत्र श्री महाबली उपाध्याय, निवासी जनपद- संतरविदास नगर, भदोही के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-812/2017/1963(1)/22-2-2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, संतरविदास नगर, भदोही।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-812/2017/1963/22-2-2017-17(497)/2017

दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध उमेश उर्फ बब्बू उपाध्याय (बन्दी संख्या-39467) पुत्र श्री महाबली उपाध्याय, ग्राम डुहिया, थाना-कोतवाली भदोही, जनपद-संतरविदास नगर, भदोही का निवासी है। बन्दी ने पूर्व में शराब पीकर गुण्डागर्दी कर कालोनी में फायर किया जिसकी शिकायत वादीगण द्वारा थाने में की गयी। इसी रंजिश में दिनांक 18.03.1997 को समय लगभग 03.15 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे से फायर कर दामोदर पाण्डेय नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-411/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, भदोही के आदेश दिनांक 06.08.1998 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2017 तक 19 वर्ष 11 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 02 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने पूर्व में शराब पीकर गुण्डागर्दी कर कालोनी में फायर किया जिसकी शिकायत वादीगण द्वारा थाने में किये जाने की रंजिश में दिनांक 18.03.1997 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे से फायर कर दामोदर पाण्डेय की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-48 वर्ष 07 माह लगभग है। बन्दी के अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता एवं पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी उमेश उर्फ बब्बू उपाध्याय पुत्र श्री महाबली उपाध्याय, निवासी जनपद-संतरविदास नगर, भदोही को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in